राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– प.3(ग)एसीपी/अलेसे–II/2020/ 1562 दिनांकः– 05/03/2021

आदेश संख्या 44/2020–21

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017, एफ. 14(88) एफ.डी./ रूल्स/ 2008 दिनांक 12.01.2018 एवं दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल **L-13** में स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं./ लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री संतोष कुमार रावत	590/88 5675	05-11-1990	18.12.2020	तीसरी संतान के कारण
2.	श्री सुधीर कुमार	705/88 5818	11-02-1991	18.12.2020	तीसरी संतान के कारण –
3.	श्री धर्मेन्द्र कुमार इन्दोरिया	DGS/89 1158	31-03-1993	18.12.2020	तीसरी संतान के कारण
4.*	श्री सतीश कुमार गोयल	212/90 5722	27-07-1993	18.12.2020	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय (तीसरी संतान के कारण)
5.*	श्री लक्ष्मीनाराण जोशी	251/90 2275	10-08-1993	10.08.2020	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
6.	श्री जगदीश प्रसाद सैनी	249/90 4610	21-06-1993	18.12.2020	तीसरी संतान के कारण
7.*	श्री महेश चन्द्र सिंघल	425/90 2429	03-01-1994	03.01.2021	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय (तीसरी संतान के कारण)
8.*	श्री नरेश कुमार करवा	459/90 2543	03-01-1994	03.01.2021	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
9.*	श्री रतन कुमार सिंह	578/90 2228	03-01-1994	03.01.2021	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
10.	श्री बद्रीराम	537/90 3912	03-01-1994	03.01.2021	तीसरी संतान के कारण

*उपरोक्त क्रम संख्या 4,5,7,8 एवं 09 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार अथवा आगामी वर्षो में प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

क्रम संख्या 1,2,3,4,6,7 एवं 10 पर वर्णित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के तीसरी सन्तान प्रकरण में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांकः18.12.2020 एवं वित्त (राजस्व) विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन एकल पत्रावली क्रमांक प , 2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 01.03.2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशो के अनुसार स्वीकृत की गई है।

D:\SAS-II\sas-ii\kailash ji\order

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14 (2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
   इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:– प.3(ग)एसीपी/अलेसे–II/2020/ 1562 दिनांक:– 05/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ....
4. निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\kailash ji\order